(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान को करार पर हस्ताक्षर कर आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहते हुए परस्पर विधिक सहायता संधि (एमएएलटी) और प्रत्यर्पण समझौते के प्रारूप पर कार्य प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौते के अनुपालन में पाकिस्तान सरकार से प्राप्त कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (घ): दिनांक 24-25, 2012 को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुई भारत-पाकिस्तान के गृह/आंतरिक सचिवों की वार्ताओं के दौरान, भारतीय पक्ष ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए पाकिस्तानी पक्ष को पारस्परिक विधिक सहायता संधि (एमएलएटी) का मसौदा सौंपा था । दोनों पक्षों ने एमएलएटी के संबंध में बातचीत शुरू करने के लिए सिद्धान्त रूप से सहमति व्यक्त की थी ।**